कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक 4150 /PMAY-G/स्था./जिपं/2017–18 राजनांदगांव दिनांक 06/07/2017

संचालक (PMAY-G) विकास आयुक्त कार्यालय, छ.ग. नया रायपुर का पत्र क्रमांक/218/वि–6/प्रमआयो(ग्रा)/ 2017 नया रायपुर दिनांक 28.04.2017 एवं पत्र क्रमांक/394/वि–6/ PMAY-G– सेटअप/ 2017 रायपुर दिनांक 24.05.2017 के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत **जिला समन्वयक** के पद पर निम्नलिखित उम्मीदवार की संविदा नियुक्ति जिला पंचायत, राजनांदगांव में निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है।

क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रशांत कुमार साहू	श्री मोहित कुमार साहू	ग्राम +पो. बघेरा,जिला राजनांदगांव	GEN	जिला पंचायत राजनांदगांव

प्रमाणित किया जाता हैं कि नियुक्ति हेतु आरक्षण नियम का पालन किया गया हैं।

नियम एवं शर्तें :–

1. संविदा पर प्रतिमाह रू. **35280.00** एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी।
2. संविदा नियुक्ति 31.03.2018 तक के लिए होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति पुनः बढाई जावेगी।
3. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई है।
4. संविदा अवधि में 18 दिनों के अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
9. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते हैं, तो संबंधित को तत्काल पद से पृथक कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।
10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र./एफ–9–1/2012/1–3, रायपुर, दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत राजनांदगांव(छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ. कमांक 4151/PMAY-G/स्था./जिपं/2017–18 राजनांदगांव दिनांक 06/07/2017

प्रतिलिपि :–

1 अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।

2 संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकास आयुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3 कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ।

4 उप संचालक, (पंचायत), राजनांदगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5 मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं शारीरिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने बाबत्।

6 सर्व संबंधित श्री.. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। दिनांक 14.07.2017 तक आवश्यक प्रमाण पत्रो सहित कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, तथा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र के साथ जिला पंचायत राजनांदगांव में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नही करने पर नियुक्ति स्वंयमेव समाप्त माना जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

Website :- www.zprajnandgaon.gov.in, Email :- zp-rjn.cg@nic.in
Phone No. (07744) 224060, 226495 Fax :- (07744) 220140